फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

ममता देवी उम्र 26 वर्ष पत्नि नवलराम जाति मीना निवासी खेडिया तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादिया

बनाम

1. गोपी पुत्र कल्ला
2. गोरन्ती पत्नि हरबल
3. बंशी पुत्र काडू
4. मुकेश पुत्र हरबल
5. रूग्गी पुत्र भजन
6. रीना पुत्री हरबल
7. लोकेश कुमार पुत्र हरबल
8. श्रीमन पुत्र भजन
9. सीमा पुत्री हरबल
10. उदयचन्द पुत्र रामखिलाडी
11. कलुवाराम पुत्र लालचन्द
12. किरोडी पुत्र रामखिलाडी
13. भोलाराम पुत्र लालचन्द
14. सियाराम पुत्र फूसिया
15. राजाराम पुत्र फूसिया
16. हुकमबाई पुत्री फूसिया
17. प्रकाशी पुत्री फूसिया
    समस्त जाति मीना निवासी खेडिया तहसील टोडाभीम, जिला करौली
18. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा बावत डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग एवं स्थाई निषेधज्ञा

मु0न0ः– 108/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1.	ममता देवी पत्नि नवलराम जाति मीना सा0 देह खातेदार	577/2	0.2448
2.	उदयचन्द किरोडी पि0 रामखिलाडी हि0ब0 3/10 राहिन (पूर्ण खाता) हि0 उदयचन्द बी.ओ.बी. करीरी, वंशी पुत्र काडू हि0 1/10, राजाराम सियाराम पि0 फूस्या प्रकाशी हुकमबाई पुत्रियां फूस्या हि0ब0 6/10 जाति मीना सा0 देह ग्राम खातेदार	577/1 577/3 कुल किता 2	0.0752 0.1200 कुल रकवा 0.1952 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3.	गोपी पुत्र कल्ला हि0 1/4 राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोडाभीम वंशी पुत्र काडू हि0 1/8 मुकेश लोकेश कुमार पि0 हरबल सीमा रीना पुत्रियां हरबल गोरन्ती पत्नि स्व0 हरबल हि0ब0 1/12 रूग्गी श्रीमन पि0 भजन हि0ब0 1/6 राजाराम सियाराम पि0 फूस्या हुकमबाई प्रकाशी पुत्रियां फूस्या हि0ब0 3/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार	573 574 कुल किता 2	0.06 0.02 कुल रकवा 0.08 है0
4.	उदयचन्द किरोडी पि0 रामखिलाडी हि0ब0 9/40 कलुवाराम भोलाराम पि0 लालचन्द भागोती पत्नि लालचन्द हि0ब0 1/8 राहिन (पूर्ण खाता) बी.ओ.बी. शाखा करीरी, गोपी पुत्र कल्ला हि0 1/4 राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोडाभीम वंशी पुत्र काडू हि0 3/20 मुकेश लोकेश कुमार पि0 हरबल सीमा रीना पुत्रियां हरबल गोरन्ती पत्नि स्व0 हरबल हि0ब0 1/12 रूग्गी श्रीमन पि0 भजन हि0ब0 1/6 जाति मीना सा0 देह ग्राम खातेदार	575	0.07 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निज......................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

NOTE:- इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2026 को उक्त निर्णय में ग्राम खेडिया के खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 किस्म चाही का अंकन सहवन से रह गया है। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 के तहत पेश निर्णय एवं डिकी में संशोधन किये जाने निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। फाईनल डिकी किये गये विभाजन प्रस्ताव में कम संख्या 5 पर खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 का नवीन खाता का निम्नप्रकार अंकन किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा	किस्म	लगान
5	उदयचन्द्र किरोडी प0 रामखिलाडी हि0 व0 967/2750 राहिन (पूर्ण खाता) हि0 उदयचन्द्र B.O.B शाखा करीरी कलुवा राम भोलाराम पि0 लालचन्द्र भागोती पत्नि लालचन्द हि0ब0 1/4 राहिन (पूण खाता) B.O.B शाखा करीरी, वंशी पुत्र काडू हि0 103/550, राजाराम सियाराम पि0 फूस्या प्रकाशी हुकमबाई पुत्रिया फूस्या हि0ब0 1161/5599 जाति मीना सा0देह खातेदार	578	0.44	चाही–1	15.84
		किता 01	0.44		

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:–108 / 2023

रजू दिनांकः– 20.07.2023

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी (आर.ए.एस)

उनवान

ममता देवी उम्र 26 वर्ष पत्नि नवलराम जाति मीना निवासी खेडिया तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादिया

बनाम

1. गोपी पुत्र कल्ला
2. गोरन्ती पत्नि हरबल
3. बंशी पुत्र काडू
4. मुकेश पुत्र हरबल
5. रूग्गी पुत्र भजन
6. रीना पुत्री हरबल
7. लोकेश कुमार पुत्र हरबल
8. श्रीमन पुत्र भजन
9. सीमा पुत्री हरबल
10. उदयचन्द पुत्र रामखिलाडी
11. कलुवाराम पुत्र लालचन्द
12. किरोडी पुत्र रामखिलाडी
13. भोलाराम पुत्र लालचन्द
14. सियाराम पुत्र फूसिया
15. राजाराम पुत्र फूसिया
16. हुकमबाई पुत्री फूसिया
17. प्रकाशी पुत्री फूसिया
    समस्त जाति मीना निवासी खेडिया तहसील टोडाभीम, जिला करौली
18. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा बावत डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग एवं स्थाई निषेधज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादिया

निर्णय दिनांकः–

वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम के भूमि खाता संख्या 24 में वर्णित खसरा नम्बर 573 रकवा 0.06, 574 0.02, कुल किता 2 कुल रकवा 0.08 है0 में वादिया हिस्सा 1/6, खाता संख्या 12 में वर्णित खसरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नम्बर 575 रकवा 0.07 में वादिया हिस्सा 1/6, खाता संख्या 55 में वर्णित खसरा नम्बर 577 करवा 0.44 है0 में वादिया हिस्सा 1/6, खाता संख्या 11 में वर्णित खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 में वादिया हिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है। बकिया हिस्से के खातेदार प्रतिवादी नं0 1 ता 17 सहखातेदारान है। हाल रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में वादिया के नाम उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज है। वादिया की उक्त हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण सहखातेदारान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। खातेदारी में दर्ज खातेदार फूसिया पुत्र मूला का देहान्त हो गया है। उसके कायम मुकाम कानूनी वारि प्रतिवादी पुत्र सियाराम, राजामरा तथा पुत्री हुकमबाई, प्रकाशी है फूसिया की पत्नि का भी देहान्त हो गया है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। खातेदारी में दर्ज खातेदार भागोती पत्नि लालचन्द का देहान्त हो गया है उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस रिकार्ड जमाबन्दी में पूर्व से ही है जो प्रतिवादी पक्षकार बनाये है। वादिया ममता देवी ने पूर्व खातेदार सुगरसिंह, सूकी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2023 को खरीद किया है तथा विक्रय पत्र के आधार पर वादिया के नाम खोदारी हो गई है तथा वादिया अपनी भूमि पर काबिज है।

वादिया अपने हिस्से की भूमि को दिनांक 19.07.2023 को जोतने, बोने गई तब प्रतिवादी नं0 1 ता 17 वादिया के पास आये और वादिया को काश्त करने में मजाहमत पैदा की तथा काश्त नहीं करने की धमकी दी। वादिया ने इनको काफी समझाया और कहा कि तहसील में चलकर के भूमि का अलग अलग खाता व लगान कायम करवा लेते है, जिससे कोई परेशानी पैदा नहीं हो, लंकिन प्रतिवादीगण इंकार हो गये। इसलिये वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ और विनायदावा पैदा हुआ है। दावा वादिया खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 बावत डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग (बंटवारा) डिक्री किया जाकर भूमि खाता संख्या 24 में वर्णित खसरा नम्बर 573 रकवा 0.06, 574 रकवा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.08 है0, खाता संख्या 12 में वर्णित खसरा नम्बर 575 रकवा 0.07 है0, खाता संख्या 55 में वर्णित खसरा नम्बर 577 रकवा 0.44 है0 तथा खाता संख्या 11 में वर्णित खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 स्थित ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम में वादिया के हिस्सा, खातेदार व कब्जा अनुसार अलग खाता व लगान कायम किया जावे तथा बंटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम से तलब कर वादिया के हक में फाईनल डिक्री प्रदान की जावे तथा वादिया के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 18 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ता 2, 4 ता 13, 16 ता 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान न0 3, 14 ता 15 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि मद न0 1 वाद पत्र में दर्ज आराजीयात की दर्ज हिस्सानुसार खातेदारी वादिया के हक में मुताबिक हाल रिकार्ड दर्ज होना स्वीकार है लेकिन वादिया ने इस मद में दर्ज आराजीयात की खातेदारी कपटपूर्वक प्रवचन कर बिल्कुल गलत व खिलाफ कानून दर्ज करवाई है जबकि इस मद में दर्ज आराजीयात से वादिया का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही मौके पर वादिया उक्त आराजी पर काबिज है। वादिया व उसके द्वारा सूकी से कपटपूर्वक प्रवचन कर बिना प्रतिफल के व बिना कब्जे के आदान–प्रदान के बिल्कुल गलत व खिलाफ कानून विकय पत्र तारीख 07.06.2023 रजिस्टर्ड करवाया है। जिसके कैंसिलेशन हेतु दावा सिविल न्यायालय टोडाभीम में लम्बित है एवं उक्त अविधिक विकय पत्र के आधार पर बिल्कुल गलत व खिलाफ कानून वादिया ने अपने हक में खातेदारी दर्ज करवाई है। भूमि मुतनाजा के एक इंच भू भाग पर मौके पर वादिया का कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण का कब्जा है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा इस साल फसल सरसों काश्त की है, जो मौके पर सरसब्ज हालत में खडी हुई है।

विशेष विवरण में अंकित किया है कि आराजीयात वादग्रसत हाल खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 स्थित ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की माता सूकी देवी वहिस्सा 1/6, आराजी हाल खसरा नम्बर 576 रकवा 0.07 है0, स्थित ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम जिसमें उक्त सूकी देवी वहिस्सा 1/12, आराजी हाल खसरा नम्बर 573 रकवा 0.06 है0, 574 रकवा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.08 है0 स्थित ग्राम खेडिया जिसमें उक्त सूकी देवी बहिस्सा 1/12 एवं खसरा नम्बर 577 रकवा 0.44 है0 वाकं ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल जिला गंगापुर सिटी राजस्थान है। जिसमें वादिया वहिस्सा 1/12 की खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 दर्ज रिकार्ड रही है एवं उक्त हिस्सानुसार ही उक्त आराजी को कदीमी समय से काश्त कर उपयोग उपभोग में लेती चली आ रही है। जिसमें वादिया का कोई संबंध किसी भी प्रकार कर नही रहा है और ना ही आज है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादी संख्या 3 की माता सूकी देवी एक सीधी–सादी 81 वर्षीय, अनपढ गरीब काश्तकार पेशा महिला है जबकि वादिया व उसका पति नवलराम पढे लिखे व चतुर चालाक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और नवलराम सरकारी कर्मचारी है जिन्होने प्रतिवादी संख्या 3 के सगे भाई सुगरसिंह से साज कर लिया और सूकी देवी को टोडाभीम बुलाकर वादिया व उसके पति नवलराम द्वारा कूटरचिज, नुमाईशी विकय पत्र पर यह कहते हुये उक्त सूकी देवी की अगूंठा निशानी शिप्त करवा ली कि तू इन कागजों पर अपनी अगूंठा निशानी लगा दे, इससे तेरे पुत्रों के बीच आये दिन आराजी के बावत हो रहे विवाद समाप्त हो जायेगें एवंत ुझे जीवनकाल के लिये सरकार से आर्थक सहायता भी दिलवा देगें और उक्त सूकी देवी से वादग्रस्त आराजी में सूकी के हिस्से के बावत उक्त फर्जी, नुमाईशी व कूटरचित विकय पत्र तारीख 07.06.2023 पर गलत व गैर कानूनी तरीके से बिना कोई प्रतिफल अदा किये बिना कब्जे के आदान–प्रदान किये उक्त सूकी की अगूंठा निशानी शिप्त करवा ली और उसी दिन उक्त विकय पत्र को उपपंजीयक टोडाभीम के समक्ष पंजीबद्ध करा लिया जिसकी प्रतिवादी संख्या की माता सूकी देवी को जानकारी होने पर उक्त सूकी देवी द्वारा एक दावा बावत् निरस्त किये जाने रजिस्टर्ड विकय पत्र तारीखी 07.06.2023 एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 02/2024 व उनवानी सूकी बनाम ममता बगै0 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 02/2024 माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, टोडाभीम के न्यायालय में पेश कर दिया। जिसमें आगामी तारीख पेशी 12.02.2025 वास्ते पेश होने दस्तावेज व कायमी तनकीयात नियत है। इस प्रकार जिस विकय पत्र और उसके आधार पर वादिया के कि में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी दर्ज हुई है, वह विकय पत्र और उसके आधार पर वादिया के हक में दर्ज खातेदारी उक्त सिविल वाद के लंबित रहते हुये विवादित है, जिसके आधार पर कानूनन वादिया को कोई अधिकार किसी भी प्रकार के प्राप्त नहीं होते है और कानूनन वादिया को वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं माना जा सकता। इस प्रकार दावा वादिया मेन्टेनेबिल नहीं है। काबिले खारिज है।

रजिस्टर्ड विकय पत्र तारीख 07.06.2023 के खिलाफ वादिया व उक्त के खिलाफ एक एफ.आई.आर. नं0 104/2024 दिनांक 24.04.2024 को पुलिस थाना टोडाभीम पर अन्तर्गत धारा 120 बी 420, 467, 468, 471 आईपीसी दर्ज करवाई जिसमें पुलिस थाना टोडाभीम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

द्वारा वादिया व उसके पति नवलराम व उक्त मुल्जिमान से साज कर एफआर लगा दी जिसके खिलाफ उक्त सूकी देवी द्वारा चाराजोही माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय टोडाभीम में पेश कर रखी है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.05.2024 नियत है। इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीख 07.06.2023 के संबंध में वादिया के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही भी लम्बित है। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र व उसके आधार पर वादिया के हक में दर्ज खातेदारी विवादित होने से दावा वादिया मेन्टेनेबिल नहीं है, काबिले खारिज है।

उक्त उनवानी प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात एवं पक्षकारान मुकदमा हाजा प्रतिवादी संख्या 03 की माता सूकी देवी द्वारा प्रस्तुत सिविल वाद मुकदमा 02/2024 में भी पक्षकारान दर्ज वाद पत्र है और उक्त सिविल दावा श्रीमन के समक्ष लंबित दावा से पूर्ववर्ती वाद है और कानूनन पूर्ववर्ती वाद के लम्बित रहते हुये पश्चातवर्ती वा पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार दावा वादिया अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 पोषणीय नहीं है काबिले खारिज है। आराजीयात वादग्रस्त के एक इंच भू भाग पर वादिया का मौके पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। और ना ही आज कब्जा काश्त है। जबकि भूमि वादग्रस्त पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 की माता सूकी देवी काबिज एवं दखील है। जिन्होने वादग्रस्त भूमि पर इस साल फसल गेहूँ काश्त की है जो मौके पर सरसब्ज हालत में खडी हुई है। इस प्रकार कब्जे के अभाव में वादिया कानूनन किसी भी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है काबिले खारिज है। अतः दावा वादीगण मय हैवी कोस्ट खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र मे समर्थन मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया यह है कि आराजी खसरा नम्बर 573 रकवा 0.06 है0, खसरा नम्बर 574 रकवा 0.02 है0, खसरा नम्बर 575 रकवा 0.07 है0, खसरा नम्बर 577 रकवा 0.44 है0, ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम में वादिया बहिस्सा 1/6 तथा खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम में वादिया 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा मुताबिक हिस्सा व कब्जा अपने नाम अलग खातेदारी कराने की हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

(जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में मजाहमत मदाखलत पैदा की तथा काश्त नहीं करने की धमकी दी इसलिये वादिया प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने की हकदार है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

3. आया यह है कि आराजी पर वादिया का एक इंच भूमि पर कब्जा कब्जा काश्त नहीं है कब्जे के अभाव में दावा चलेन योग्य नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी नं0 3, 15, 16)

4. आया यह है कि प्रतिवादी नं0 3 की मां सूकी देवी द्वारा उक्त आराजी के बावत् सिविल दावा बावत् निरस्तीकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त वादपत्र के पूर्व ही सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। इसलिये उक्त दावा अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी के तहत विचारणीय नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी नं0 3)

5. आया यह है कि वादिया द्वारा खरीद की गई आराजी के बावत् एम प्रथम सूचना 104/2024 थाना टोडाभीम में दर्ज कराई थी। जिसमें थाना टोडाभीम द्वारा अन्तिम प्रतिवोदन दे दिया। जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन लंबित है। इस पर दावा चलने योग्य नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

6. अनुतोष?

वादी द्वारा वादपत्र मे समर्थन मे ग्राम खेडिया की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 खाता न0 24 प्रदर्श–1, खाता न0 12 प्रदर्श–2, खाता न0 55 प्रदर्श–3, खाता न0 11 प्रदर्श–4, व अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश किया। वादी से प्रतिवादी वकील ने जिरह पूर्ण की।

प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान अनेक मौके उपरान्त प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाया गया। अतः प्रतिवादीगण नं0 3, 14, 15 की ओर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि दावा डिक्री किया जाकर भूमि खाता संख्या 24 में वर्णित खसरा नम्बर 573 रकवा 0.06, 574 रकवा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.08 है0, खाता संख्या 12 में वर्णित खसरा नम्बर 575 रकवा 0.07 है0, खाता संख्या 55 में वर्णित खसरा नम्बर 577 रकवा 0.44 है0 तथा खाता संख्या 11 में वर्णित खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 स्थित ग्राम खेडिया तहसील टोडाभीम में वादिया के हिस्सा, खातेदार व कब्जा अनुसार अलग खाता व लगान कायम किया जावे तथा बंटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम से तलब कर वादिया के हक में फाईनल डिक्री प्रदान की जावे तथा वादिया के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करे। अतः वादिया का वादपत्र स्वीकार योग्य होने के वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया किया जाकर तहसील टोडाभीम को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 26.08.2025 को आदेशित किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18–21 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव बनाकर पेश किया जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम खेडिया मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1.	ममता देवी पत्नि नवलराम जाति मीना सा0 देह खातेदार	577/2	0.2448
2.	उदयचन्द किरोडी पि0 रामखिलाडी हि0ब0 3/10 राहिन (पूर्ण खाता) हि0 उदयचन्द बी.ओ.बी. करीरी, वंशी पुत्र काडू हि0 1/10, राजाराम सियाराम पि0 फूस्या प्रकाशी हुकमबाई पुत्रियां फूस्या हि0ब0 6/10 जाति मीना सा0 देह ग्राम खातेदार	577/1 577/3 कुल किता 2	0.0752 0.1200 कुल रकवा 0.1952 है0
3.	गोपी पुत्र कल्ला हि0 1/4 राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोडाभीम वंशी पुत्र काडू हि0 1/8 मुकेश लोकेश कुमार पि0 हरबल सीमा रीना पुत्रियां हरबल गोरन्ती पत्नि स्व0 हरबल हि0ब0 1/12 रुग्गी श्रीमन पि0 भजन हि0ब0 1/6 राजाराम सियाराम पि0 फूस्या हुकमबाई प्रकाशी पुत्रियां फूस्या हि0ब0 3/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार	573 574 कुल किता 2	0.06 0.02 कुल रकवा 0.08 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

4.	उदयचन्द किरोडी पि0 रामखिलाडी हि0ब0 9 / 40 कलुवाराम भोलाराम पि0 लालचन्द भागोती पत्नि लालचन्द हि0ब0 1 / 8 राहिन (पूर्ण खाता) बी.ओ.बी. शाखा करीरी, गोपी पुत्र कल्ला हि0 1 / 4 राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोडाभीम वंशी पुत्र काडू हि0 3 / 20 मुकेश लोकेश कुमार पि0 हरबल सीमा रीना पुत्रियां हरबल गोरन्ती पत्नि स्व0 हरबल हि0ब0 1 / 12 रूग्गी श्रीमन पि0 भजन हि0ब0 1 / 6 जाति मीना सा0 देह ग्राम खातेदार	575	0.07 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...19.1.26... को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

NOTE:- इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2026 को उक्त निर्णय में ग्राम खेडिया के खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 किस्म चाही का अंकन सहवन से रह गया है। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 के तहत पेश निर्णय एवं डिकी में संशोधन किये जाने निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। फाईनल डिकी किये गये विभाजन प्रस्ताव में कम संख्या 5 पर खसरा नम्बर 578 रकवा 0.44 है0 का नवीन खाता का निम्नप्रकार अंकन किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा	किस्म	लगान
5	उदयचन्द्र किरोडी प0 रामखिलाडी हि0 व0 967 / 2750 राहिन (पूर्ण खाता) हि0 उदयचन्द्र B.O.B शाखा करीरी कलुवा राम भोलाराम पि0 लालचन्द्र भागोती पत्नि लालचन्द हि0ब0 1 / 4 राहिन (पूण खाता) B.O.B शाखा करीरी, वंशी पुत्र काडू हि0 103 / 550, राजाराम सियाराम पि0 फूल्या प्रकाशी हुकमबाई पुत्रिया फूल्या हि0ब0 1161 / 5599 जाति मीना सा0देह खातेदार	578	0.44	चाही–1	15.84
		किता 01	0.44		

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली